

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 180/2021

दिनांक : 15-11-2021

निर्णय:-



प्रार्थी श्री.....परतराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....युनाराम.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....धारासर.....पटवार मण्डल.....जासासर.....  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्बत्.....2070-73.....के खाता संख्या.....57.....में  
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....परतराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से.....परतराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....जासासर.....से करवाने पर पटवारी ने.....परतराम.....के  
बजाय.....परतराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....परतराम.....पुत्र युनाराम  
के बजाय.....परतराम.....पुत्र युनाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....जासासर (पीठहा चाली).....के खाता संख्या.....57.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....परतराम पुत्र युनाराम.....के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....परतराम पुत्र युनाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

15/11/21

उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु

नामांक.  
931  
15-11-21



R.No. 531  
15-11-2021